

नगर आखला आधोगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन संक्टर-6 नोएडा (उ०प्र०)

संख्या नोएडा/प्र/01/010/III - 218 / 464
दिनांक: 27/12/11

सेवा में,

मै० शुभकामना विल्डटैक (प्रा०) लि०
201, विशाल चैम्बर, संक्टर - 18,
नोएडा

[REVENUE DEPARTMENT]

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.11 के संदर्भ में आप द्वारा पुनरीक्षित प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण की भूखण्ड संख्या जीएच - 05वी, संक्टर - 137, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निर्माण जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय गोंगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुलें तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाइन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरोध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैंट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उराकी मौके पर कभी भी जॉब की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजोनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा वरन् पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण पुन वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्वीकृत मानचित्र पर तल तलगत है मदन काल मानचित्र की वैधता दिशि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिमोक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा फिना आजा व प्रमाण लिए भवन का प्रयोग में ना लाये।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 35%
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75

22565.770 वर्ग मी०

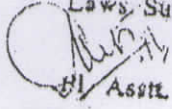
7898.019 वर्ग मी०

62055.867 वर्ग मी०

विभिन्न तलों पर निर्गमे गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)	पुनरीक्षित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)
तहखाना(एफ.ए.आर.)	7898.019	363.846	1260.927
भूतल		3522.1157	13513.963
प्रथम तल		4186.481	4178.849
द्वितीय तल		4028.516	3863.071
तृतीय तल		3969.516	3852.525
चतुर्थ तल		3969.516	3852.525
पंचम तल		3969.516	3852.525
छटवां तल		3969.516	3852.525
सातवां तल		3969.516	3852.525
आठवां तल		3969.516	3852.525
नौवां तल		3969.516	3852.525
दसवां तल		3969.516	3852.525
ग्यारहवां तल		3969.516	3852.525
बारवां तल		3969.516	3852.525
तेरहवां तल		3969.516	3852.525
चौदहवां तल		3969.516	3852.525
पन्द्रहवां तल		3969.516	3852.525
सोलहवां तल		412.028	879.397
सत्रहवां तल		412.028	879.397
अट्ठारहवां तल		412.028	879.397
उन्नीसवां तल		412.028	879.397
कुल एफ.ए.आर.	62055.867	412.028	295.037
अपर तहखाना	सेटबैक छोड़ने के	61795.332	61959.735
लोअर तहखाना	परचात शेष क्षेत्रफल (गार्डिंग/सर्विसेज हेतु)	12398.777	12398.777
		4051.883	4051.883
स्टिल्ट तल		16450.660	16450.660
सेवा क्षेत्रफल		821.652	835.00
पूर्व में स्वीकृत कुल क्षेत्रफल		8817.393	8995.383
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल		= 16450.660 + 61795.332 + 8817.393 = 87884.037 वर्ग मी० = 61959.735 + 16450.660 + 835.00 + 8995.383 = 88240.778 वर्ग मी०	

Map for proposed Building is as per Bye
Laws Submitted for approval please.


H. Asstt.


Architect

नाम.....
पद.....

2/11/21 राजनाथ कोशिक
मुख्य वास्तुविद, नमोज
नोएडा

प्रतिलिपि:

1. सहो महाप्रबन्धक (ग्रुप हा0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेक्रेटरी
स्टेट लेवल एन्वारोन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ0प्र0
डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेन्ट,
डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1,
गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उ0प्र0
को सादर सूचनार्थ ।